<u>समाचार</u>

लाकडाउन उल्लंघन पर हुई ताबड़तोड़ कार्यवाही

(दर्री क्षेत्र में सुपर मार्केट खुला मिला, लगा 10 हजार रू. अर्थदण्ड, कोरबा जोन में आधा दर्जन से अधिक दुकानों पर हुई कार्यवाही)

(विभिन्न जोनों में लाकडाउन उल्लंघन पर लगाया गया 19900 रू. अर्थदण्ड)

कोरबा 08 मई 2021 –लाकडाउन के दौरान दुकानें खोलकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आज भी राजस्व व पुलिस विभाग के सहयोग से निगम ने ताबड़तोड़ कार्यवाही की। दर्री जोनांतर्गत अगारखार में सुपर मार्केट खुला हुआ मिला, जिस पर 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया, वहीं कोरबा जोनांतर्गत पुराने कोरबा शहर, इतवारी बाजार एवं पावर हाउस रोड में आधा दर्जन से अधिक दुकानों पर कार्यवाही की गई, 5500 रूपये अर्थदण्ड लगाया गया तथा कड़ी हिदायत दी गई।

कोरोना संक्रमण से बचाव एवं उसके नियंत्रण के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल द्वारा प्रभावशील किए गए लाकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कराने के निर्देश आयुक्त श्री एस. जयवर्धन द्वारा निगम के सभी जोन कमिश्नरों एवं मैदानी अधिकारियों को दिए गए हैं। निगम के सभी 08 जोन में अधिकारी कर्मचारियों द्वारा लाकडाउन का पालन कराने हेतु सतत निगरानी रखी जा रही है तथा जहां कहीं भी लाकडाउन का उल्लंघन किया जाता है, उस पर त्वरित कार्यवाही निगम अमले द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में आज निगम के विभिन्न जोन में यह कार्यवाही की गई। दर्री जोनांतर्गत अगारखार स्थित हिन्दुस्तान सुपर मार्केट खोलकर संचालक द्वारा व्यवसाय किया जा रहा था, दर्री तहसीलदार प्रांजल मिश्रा तथा जोन कमिश्नर ए.के.शर्मा की अगुवाई में सहायक अभियंता योगेश राठौर व राजस्व निरीक्षक शशांक दुबे

ने कार्यवाही करते हुए 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया, सुपर मार्केट को बंद कराया एवं कड़ी हिदायत दी। इसी प्रकार कोरबा जोनांतर्गत राजस्व विभाग व पुलिस प्रशासन के सहयोग से निगम अमले ने आधा दर्जन से अधिक दुकानों पर कार्यवाही की। कोरबा एस.डी.एम. श्री सुनील नायक एवं कोविड सेक्टर अधिकारी पी.डब्ल्यू.डी. ई.ई. अशोक वर्मा की देखरेख में यह कार्यवाही की गई। संपदा अधिकारी एस.डी.बनाफर, सहायक अभियंता डी.सी.सोनकर व राजस्व निरीक्षक सुमित गुप्ता की टीम ने यह कार्यवाही की। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुबेर अनाज भण्डार, श्री समताई फ्लोरमिल पावर हाउस रोड, नरेश इंटरप्राईजेज मेन रोड, गर्ग इलेक्ट्रिकल्स एण्ड मिल स्टोर, मनोहर एजेंसी तथा इतवारी बाजार स्थित दुकान खुली पायी गई, जिन पर कार्यवाही करते हुए 5500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। इसी प्रकार कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 02 दुकानदारों द्वारा दुकान खोलकर व्यवसाय संचालित किया जा रहा था, जोन कमिश्नर श्री आर.के.चौबे की अगुवाई में राजस्व अधिकारी श्री अनिरूद्ध सिंह एवं उनकी टीम ने कार्यवाही करते हुए उन पर अर्थदण्ड लगाया, दुकानों को बंद कराया एवं लाकडाउन के नियमों का पालन करने के संबंध में कड़ी हिदायत दी। वहीं बालको जोनांतर्गत भी दुकान खुली मिली, जिस पर निगम अमले ने कार्यवाही की, अर्थदण्ड लगाया व दुकानों को बंद कराया। इसी प्रकार विभिन्न स्थानों पर एक ही स्थान पर खड़े रहकर ठेलों में फल, सब्जी का विक्रय करने वालों, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर भी अर्थदण्ड लगाया गया तथा उन्हें अनिवार्य रूप से लाकडाउन के नियमों का पालन करने की कड़ी हिदायत दी गई।

<u>लगा 19900 रूपये का अर्थदण्ड</u>– लाकडाउन के उल्लंघन तथा कोरोना प्रोटोकाल तोड़ने पर निगम अमले ने कार्यवाही करते हुए 19900 रूपये का अर्थदण्ड लगाया। प्राप्त जानकारी के अनुसाार दर्री जोनांतर्गत 10000 रूपये, कोरबा जोनांतर्गत 5500 रूपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 2100 रूपये, बालको जोनांतर्गत 1800 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।